



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5103]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940

No. 5103]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6357(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित निकाय 'हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम' शिमला, को उस निकाय से होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, नामतः:-

- (क) भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य सरकारी/अर्धसरकारी एजेंसियों से सहायता अनुदान तथा राज सहायता के रूप में प्राप्त राशि;
 - (ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए शुल्क अथवा अंशदान; तथा
 - (ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) पर अर्जित व्याज।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, शिमला -
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए लागू होना माना जाएगा और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के बारे में लागू होगा।

[अधिसूचना सं. 92/2018/फा. सं. 300196/33/2016-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।